कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / शालादर्पण / 60303 / वो.–3 / 2020–21 /   दिनांकः 19.08.2020

1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
4. समस्त संस्था प्रधान / पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ), राजकीय विद्यालय।

विषयः– नवसृजित पंचायत समिति, ग्राम पंचायत / नगर निकाय, राजस्व ग्राम / वार्ड के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर राजकीय विद्यालयों की सूचना अपडेट करने के संबंध में।

प्रसंगः– शासन उप सचिव का पत्रांकः प.04(15)शिक्षा–1 / 2008 पार्ट जयपुर दिनांकः– 10.07.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन के प्रासंगिक पत्र द्वारा बजट घोषणाओं, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणाओं, जन घोषणा पत्र की कियान्विति की समीक्षा के कम में शासन सचिव महोदया, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 08.07.2020 में लिए गए निर्णयों की पालना के कम में नवसृजित पंचायत समिति, ग्राम पंचायत / नगर निकाय, राजस्व ग्राम / वार्ड के अनुसार विद्यालयों के स्टेट्स की जानकारी शासन को भिजवाई जानी है।

शासन के आदेश की त्वरित पालना के कम में विद्यालय का क्षेत्र (नगरीय / ग्रामीण), ब्लॉक, ग्राम पंचायत / यूएलबी, ग्राम / वार्ड, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, पिनकोड की जानकारी के साथ ही विद्यालय के निकटस्थ विद्यालयों की मैपिंग, विद्यालय के ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्राम से गुजरने वाली सड़कों की जानकारी एवं विद्यालय से ग्राम पंचायत / उपखण्ड / पंचायत समिति / जिला मुख्यालय से दूरी संबंधी जानकारी विद्यालय स्तर से अपडेट करवाने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर **समस्त राजकीय विद्यालयों की लॉगिन में पूर्व से ही उपलब्ध** "अपडेट विद्यालय प्रोफाइल" के उप टैब "अन्य जानकारी" के अन्तर्गत सूचना प्रविष्ट करने हेतु विकल्प उपलब्ध करवाया गया है।

सूचना प्रविष्टि / अपडेशन हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूल लॉगिन में उपलब्ध पेज का विवरणः–
SCHOOL---SCHOOL–UPDATE SCHOOL PROFILE– अन्य जानकारी (उक्त मॉड्यूल ऑपन करने पर स्वतः ही (Bydefault) अन्य जानकारी संबंधी पेज ऑपन होगा)

सूचना के त्वरित अपडेशन एवं सटीक जानकारी के मद्देनजर उक्त मॉड्यूल में वांछित प्रविष्टियां **समस्त राजकीय विद्यालयों द्वारा** दिनांकः 23.08.2020 तक आवश्यक रूप से शत–प्रतिशत पूर्ण की जानी है। अतः इस हेतु समस्त संबंधितों द्वारा उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्रदत्त निर्देशों की समयबद्ध पालना / कियान्विति सुनिश्चित की जावे।

समस्त सीबीईओ लॉगिन में उक्त प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण हेतु प्रत्येक विद्यालय के सम्मुख लॉक / अनलॉक का बटन उपलब्ध करवाया गया है। संबंधित सीबीईओ द्वारा व्यक्तिशः मॉनीटरिंग कर प्रत्येक विद्यालय की प्रविष्टि परीक्षणोपरांत लॉक करवाई जावेगी। किसी विद्यालय की प्रविष्टि गलत होने की स्थिति में आपके स्तर से अनलॉक उपरांत संबंधित विद्यालय से पुनः सही प्रविष्टि करवाते हुए सम्पूर्ण कार्य दिनांक 25.08.2020 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. **निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान–जयपुर।**
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. शासन उपसचिव, प्रथम, शिक्षा ग्रुप–1, राजस्थान सरकार।
6. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर।
7. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर